राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1664/2011/जयपुर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन–III, राज., जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स विनायक एग्रोटेक लिमिटेड,
ई–158, रोड़ नं0 12, वी.के.आई.ए., जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 14/12/2017

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), तृतीय, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा गया है) के अपील संख्या 250/अपील्स–तृतीय/10–11/ई में पारित किये गये आदेश दिनांक 04.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन (राजस्थान), वृत–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 1998–99 के लिये राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 29(7) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 30.03.2001 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. इस प्रकरण में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा घी की बिक्री के साथ में पैकिंग मैटेरियल की बिक्री पर घी की कर दर को आरोपित करने के मामले में अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर अन्तर कर रूपये 1,23,286/– को यथावत रखा था, परन्तु रीसेल हेतु खरीद किये गये पैकिंग मैटेरियल का विक्रय घी के साथ होने पर 6 प्रतिशत की करदेयता निर्धारित करने के साथ उसे करापवंचन मानकर शास्ति भी आरोपित की गयी थी, जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है, वह विधिसम्मत आदेश है क्योंकि व्यवहारी द्वारा खरीद किये गये माल एवं बिक्री के सम्पूर्ण रेकॉर्ड प्रस्तुत किये

लगातार.....2

हुए थे एवं किसी भी तरह का छिपाव नहीं किया गया था, बल्कि केवल कर दर के अन्तर का विवाद था। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 26 टैक्स अपडेट 01** के आलोक में शास्ति अपास्त करने में कोई भूल नहीं की गयी है, अतः राजस्व की अपील इस बिन्दु पर खारिज की जाती है।

4. इसके अलावा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वनस्पति घी की बिक्री पर जो सरचार्ज आरोपित किया गया था, उसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त करते हुए व्यवहारी की अपील स्वीकार की गयी थी, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ.4(14)/टैक्स डिवी/93–75 दिनांक 21.08.1998 के जरिये खाद्य तेल को सरचार्ज से मुक्त किया हुआ था एवं राजस्थान कर बोर्ड द्वारा **अपील संख्या 1400/2000/अलवर वाणिज्यिक कर अधिकारी, करापवंचन, अलवर बनाम मैसर्स अजन्ता सोया लिमिटेड, भिवाड़ी अलवर निर्णय दिनांक 02.05.2002** में वनस्पति घी को खाद्य तेल की श्रेणी में माना गया था। व्यवहारी को उक्त अधिसूचना का लाभ देते हुये अपील स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है अतः इस बिन्दु पर भी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

5. इसके अलावा व्यवहारी को बिक्री कर प्रोत्साहन योजना के तहत जो जिला स्तरीय छानबीन समिति द्वारा संशोधित आदेश दिनांक 17.01.2002 के जरिये जो लाभ बढ़ा दिया गया था, उस अनुसार पुनः गणना करने हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने में भी अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि कारित नहीं की गयी है क्योंकि जिला स्तरीय छानबीन समिति के निर्णय अनुसार जो लाभ दिया गया था, उस अनुसार कर निर्धारण में पुनः गणना किये जाने के निर्देश देना विधिसम्मत है।

6. फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिन्दु पर पारित किये गये आदेश में कोई त्रुटि नहीं होने से राजस्व की अपील खारिज की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

14/12/17
(राजीव चौधरी)
सदस्य